वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016-आषाढ़ 24, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शाइस्ता खान पत्नि श्री अब्दुल साजिद खान, आयु-46 वर्ष, निवासी-बी-2, न्यू, मिशा अपार्टमेन्ट करबला रोड, कोहेफिजा, भोपाल (मध्यप्रदेश) यह कि मेरा विवाह अब्दुल साजिद खान पुत्र स्व. अ. समद से दिनांक 24 जनवरी, 1990 को भोपाल में मुस्लिम रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ था. विवाह पूर्व मेरा नाम संगीता वानखेड़े पुत्री पुरूषोतम वानखेड़े था. मैं, अपना नाम संगीता वानखेड़े के स्थान पर शाइस्ता खान करवाना चाहती हूँ. अब मुझे शाइस्ता खान के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(संगीता वानखेड़े)

नया नाम :
(शाइस्ता खान)

(217-बी.)

CHANGE OF NAME

I, KESHWAN DAS changed my name to KESHAV DAS RAJANI and now I would be known as KESHAV DAS RAJANI.

Old Name:
(KESHWAN DAS)

New Name :
(KESHAV DAS RAJANI)
Address-123, Palsikar Colony,
Indore (M.P.).

(218-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे सभी दस्तावेज में मेरा नाम अरविंद है, अब मेरा नाम अरविंद मीणा हो गया है, आगे भविष्य में मुझे अरविन्द मीणा के नाम से पहचाना जाएगा.

पुराना नाम :
(अरविंद)

नया नाम :
(अरविंद मीणा)
निवास-हॉस्टल बी-ब्लॉक, रूम नं. 42,
गाँधी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, भोपाल (म.प्र.).

(219-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, निशा अग्रवाल पति मनीष अग्रवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी-127, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश आज दिनांक जबलपुर में सूचित करती हूँ कि, मेरे पुत्र शिवम टिबड़ेवाला की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की मार्कशीट तथा स्कूल के अभिलेखों में उसकी माता का नाम गलती से निशा टीबड़ेवाला दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. माता का सही नाम निशा अग्रवाल दर्ज होना चाहिये था.

अतः इस आशय से ये आम सूचना जबलपुर में प्रकाशित की जा रही है कि, मेरे पुत्र की अंकसूची में उसकी माता का गलत नाम निशा टिबड़ेवाला के स्थान पर सही नाम निशा अग्रवाल किया जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(निशा टिबड़ेवाला) **(निशा अग्रवाल)**

(220-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, मनीष अग्रवाल पिता मधुसूदन अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी-127, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश आज दिनांक जबलपुर में सूचित करता हूँ कि, मेरे पुत्र शिवम टिबड़ेवाला की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की मार्कशीट तथा स्कूल के अभिलेखों में उसके पिता का नाम गलती से मनीष टिबड़ेवाला दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. पिता का सही नाम मनीष अग्रवाल दर्ज होना चाहिये था.

अतः इस आशय से ये आम सूचना जबलपुर में प्रकाशित की जा रही है कि, मेरे पुत्र की अंकसूची में उसके पिता का गलत नाम मनीष टिबड़ेवाला के स्थान पर सही नाम मनीष अग्रवाल किया जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(मनीष टिबड़ेवाला) **(मनीष अग्रवाल)**

(221-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह से पूर्व मेरा नाम कु. शिवानी भसीन पुत्री श्री सुभाष भसीन था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती शिवानी साहनी पत्नि श्री सुमित साहनी हो गया है. आगे मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(कु. शिवानी भसीन) **(शिवानी साहनी)**

पुत्री श्री सुभाष भसीन. पत्नी श्री सुमित साहनी,

सत्य नारायण संतर, इमामबाड़ा,

मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(222-बी.)

CHANGE OF SURNAME

Nitesh Jain S/o Ajay Turakhia, residing at 14/1, Shanti Sadan, Snehlataganj, Indore (M.P.) have changed the name as Nitesh Turakhia for all purpose *vide* affidavit dtd 14-06-2016 before Notery Ramesh Kumar Mulani.

Old Name: New Name :

(NITESH JAIN) **(NITESH TURAKHIA)**

(223-B.)

CHANGE OF NAME

I, have change my name from ANIRUDDH PRASAD SHARMA (Old Name) S/o Shri Ram Mani Sharma to ANIRUDDH DUBEY (New Name) S/o Shri Ram Mani Sharma as affidavit on dt. 30-05-2016.

Hence in future I may be known as ANIRUDDH DUBEY (New Nmae) S/o Shri Ram Mani Sharma in my Service Record as will as in all Documents.

Old Name: New Name :

(ANIRUDDH PRASAD SHARMA) **(ANIRUDDH DUBEY)**

Address-H.No. 766, Buddu Kacchi Ka Wada,

Manegaon Ranjhi, Jabalpur (M.P.).

Pin Code-482005.

(224-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-विदित है कि मैं, Mayank Kumar Chaturvedi सूचित करता हूँ कि, मेरी सीबीएसई 10वीं सत्र 2011-13 की अंकसूची में मेरे नाम की स्पेलिंग MAHENK एवं मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग PROMOD गलत दर्ज है, जबकि मेरे नाम की सही स्पेलिंग MAYANK एवं मेरे पिता के नाम कि सही स्पेलिंग PRAMOD है. भविष्य में मुझे एवं मेरे पिता को सही नाम से जाना जावे.

Old Name: New Name :

(MAHENK KUMAR CHATURVEDI) **(MAYANK KUMAR CHATURVEDI)**

Address—Bajarang Vihar Colony,

(225-B.) Thatipur, Gwalior (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम 11वीं एवं शासकीय दस्तावेजों में दीपक कुमार रोड़े अंकित है. मेरे पेनकार्ड, वोटर कार्ड, बी. ई. में नाम दीपक रोड़े अंकित है. यह दोनों मेरे ही हैं. अत: भविष्य में मुझे दीपक कुमार रोड़े के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(दीपक रोड़े) **(दीपक कुमार रोड़े)**

पिता श्री गजानन रोड़े,

(226-बी.) 77, गोयल विहार खजराना, इन्दौर.

CHANGE OF SURNAME

Bhavana Jain W/o Hitesh Turakhia, residing at 14/1, Shanti Sadan, Snehlataganj, Indore (M.P.) have changed the name as Bhavana Turakhia for all purpose vide affidavit dtd 14-06-2016 before Notery Ramesh Kumar Mulani.

Old Name: New Name :

(BHAVANA JAIN) **(BHAVANA TURAKHIA)**

(227-B.)

NOTICE

NOTICE OF RETIREMENT FROM PARTNERSHIP FIRM

This is to publicity notify that *w. e. f.* 19-01-2016 Shri Anand Atre S/o Shri Gouri Shankar Atre R/o C-62, Shahpura, Bhopal has resign form the partnership firm M/s Baneshwari Construction Company vide dissolution deed of the firm on that date. Shri Satish Patel S/o Shri Someshwar Patel R/o Gram Pivday, Distt. Indore who was the partner of the firmand now the proprietor of the from shall continue to operate the business of the firm under the name and style of M/s Baneshwari Construction Company consented by the retiring partner. However any person (s) has any objection they may do so within 15 days from the date of notice by directly the undersigned in person. No claim shall or issue or objection shall be entitled after such date.

M/s. Baneshwari Construction Company,

SATISH PATEL,

(228-B.) (Proprietor).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स पवन पुत्र कंस्ट्रक्शन कम्पनी में दिनांक 01-03-2016 से फर्म के साझेदार- श्री अजीत कुमार तिवारी पिता स्व. श्री जानकी प्रसाद तिवारी, उम्र 37 वर्ष, निवासी म. नं.-176, ग्राम डोमा, पोस्ट कठहा, तह. अमरपाटन, जिला सतना (मध्यप्रदेश)-485778 बाहर किया जाता है.

सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त फर्म में निम्न नये साझेदार का प्रवेश दिनांक 01-03-2016 से किया गया है-1. श्रीमती कल्पना तिवारी पुत्री श्री रामायण प्रसाद मिश्रा, उम्र 36 वर्ष, निवासी डोमा, पोस्ट कठहा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (मध्यप्रदेश)-485778, 2. श्री मृगेन्द्र प्रसाद मिश्रा, पिता स्व. श्री लवकुश प्रसाद मिश्रा, उम्र 43 वर्ष, निवासी मकान नं. 54 जी, ग्राम देउरीकला, पोस्ट मिरगौती, तहसील रामनगर, जिला सतना (म.प्र.)-485881, सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त फर्म में श्री महेश्वास त्रिपाठी पिता श्री हरी प्रसाद त्रिपाठी, उम्र 36 वर्ष, निवासी-ग्राम डोमा, पोस्ट कठहा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (मध्यप्रदेश)-485778, फर्म के साझेदार बने रहेंगे, दिनांक 1 मार्च, 2016 से अजीत कुमार तिवारी का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं है, अगर फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की

लेन-देन होगा तो उसमें अजीत कुमार तिवारी ही जिम्मेदार रहेंगे. इसमें फर्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा. अधिक जानकारी के लिये आप फर्म के वर्तमान साझेदारी से सम्पर्क निम्न पतों पर कर सकते हैं.

हेड ऑफिस : म. नं.-09, ग्राम डोमा, पोस्ट कठहा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (मध्यप्रदेश), 485881, मोबाईल: 8463020996.

शाखा कार्यालय: ग्राम देवरी कला, पोस्ट मिरगौती, तहसील रामनगर, जिला सतना (मध्यप्रदेश), 485881, मोबाईल: 9669368248.

For—M/s Pawan Putra Construction Company,

MAHESH VAS TRIPATHI,

(229-B.) (Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, M/s CMT INFRASTRUCTURE में दिनांक 11 मार्च, 2016 के साझेदार-श्री भूपेन्द्र बागरी S/o दिनकर प्रसाद बागरी, आयु 33 वर्ष, निवासी हिलौधा, तहसील नागौद, सतना (मध्यप्रदेश)-485441 एवं श्री अमित सिंह बागरी S/o रामफल बागरी, आयु 25 वर्ष, निवासी म. नं. 386 USA होटल के सामने अमौधा कला, पतेरी सतना (मध्यप्रदेश)-485001 को बाहर किया जाता है.

सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में निम्न नये साझेदार का प्रवेश दिनांक 11 मार्च, 2016 से किया गया है-1. श्री शिवम् सिंह बागरी, आयु 22 वर्ष, निवासी म. नं.-MIG-104, बांधवगढ़ कॉलोनी, सतना (म.प्र.) 485001 सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त फर्म में श्रीमती जागृति बागरी W/o प्रशांत सिंह बागरी, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 28, जवाहर नगर, तहसील रघुराजनगर, सतना-485001, फर्म के साझेदार बने रहेंगे. दिनांक 11 मार्च, 2016 से श्री भूपेन्द्र बागरी एवं श्री अमित सिंह बागरी का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं है. अगर फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन होगा तो उसमें श्री भूपेन्द्र बागरी एवं श्री अमित सिंह बागरी स्वत: ही जिम्मेदार रहेंगे. इसमें फर्म M/s CMT INFRASTRUCTURE का कोई दायित्व नहीं होगा.

For—M/s CMT INFRASTRUCTURE,

SHIVAM SINGH BAGRI,

(230-B.) (Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स आराध्या डेब्लपर्स, जिसका पता-1967/1, राइट टाउन, जबलपुर एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0262/16, सन् 2015-16, दिनांक 23-02-2016 पंजीयन फर्म है मैं, दिनांक 01-04-2014 को भागीदार सचिन उपाध्याय पुत्र सुरेश उपाध्याय, निवासी 1806, कजरवारा रानी लक्ष्मी बाई वार्ड, जबलपुर, मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-आराध्या डेब्लपर्स,

आदर्श अग्रवाल,

(भागीदार)

(231-बी.) पता-1967/1, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स पार्श्व बिल्डर्स फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है. यहकि, दिनांक 31-03-2009 को फर्म की सुश्री मनिबाला लुहाड़िया पिता श्री सुरेन्द्र कुमार लुहाड़िया 17/7, साउथ तुकोगंज, इन्दौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया है साथ ही दिनांक 01-04-2009 को फर्म में श्री सुरेन्द्र कुमार लुहाड़िया पिता स्वर्गीय श्री गोपीचंद लुहाड़िया, 17/7, साउथ तुकोगंज, इन्दौर एवं श्री सोहित कुमार लुहाड़िया पिता श्री सुमत कुमार लुहाड़िया, 17/7, साउथ तुकोगंज, इन्दौर को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है एवं दिनांक 01-04-2010 को फर्म में श्री नोनित लुहाड़िया पिता श्री सुमत कुमार लुहाड़िया 17/7, साउथ तुकोगंज, इन्दौर को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

For—M/s Parshwa Builders,

सुमत कुमार लुहाड़िया,

(232-B.) (Partner).

सूचना

मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स दिनांक 25 अगस्त, 2011 से भागीदार मनीष अग्रवाल पिता श्री सुरेन्द्र अग्रवाल फर्म से अलग हो रहे हैं एवं दिनांक 25 अगस्त, 2011 से आशादेवी अग्रवाल पति श्री संजय अग्रवाल और सुरेन्द्र अग्रवाल पिता श्री राजाराम अग्रवाल फर्म से जुड़ रहे हैं एवं मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स दिनांक 01 जून, 2016 से श्रीमती सविता अग्रवाल पति श्री मनीष अग्रवाल फर्म से अलग हो रही हैं.

For—M/s Triveni Infrastructures,
SAVITA AGRAWAL,
(Partner).

(233-B.)

आम सूचना

मैसर्स बाबा मनिरामपुरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी-01 कृष्णा मेंशन, शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में दिनांक 04 जुलाई, 2016 से वर्तमान भागीदारों में से निम्नलिखित भागीदारों को पृथक कर दिया गया है—

1. श्री अवध सिंह धाकरे पुत्र स्व. श्री त्रिलोक सिंह धाकरे, निवासी बी. 829, आनंद नगर, ग्वालियर
2. श्री माधव सिंह पवैया पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह पवैया, निवासी ग्रा. चीनौर, ग्वालियर

एवं दिनांक 04 जुलाई, 2016 से निम्न भागीदारों को सम्मिलित किया गया है.

1. श्री सत्यप्रकाश सिंह सिकरवार पुत्र श्री गजराज सिंह सिकरवार, निवासी शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर.

M/s Baba Manirampuri Construction Co.,
योगेन्द्र सिंह सिकरवार,
01, Krishna Mantion Shankar Chowk,
Lalitpur Colony, Lashkar, Gwalior.

(234-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स गिर्राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 14-बी, राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी, तानसेन रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.जी./फर्म/77, वर्ष 2003-04, दिनांक 31 मार्च, 2004 है. जिसमें दिनांक 12 जुलाई, 2004 को भागीदार श्री होतम सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गढ़ी तिराहा, सुदर्शन बिहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 12 जुलाई, 2004 को धर्मवीर शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा, निवासी रानीपुरा, रामनगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा दिनांक 21 जुलाई, 2012 को भागीदार (1) श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नेतराम शर्मा, निवासी 14-बी, डॉ. आर. पी. कॉलोनी, ग्वालियर, (2) भगवत प्रसाद शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा, निवासी सिंगवारी, भिण्ड, (3) धर्मवीर शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा, निवासी रानीपुरा, रामनगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर तीनों भागीदारी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 21 जुलाई, 2012 को रायसिंह राजपूत पुत्र श्री पन्नालाल राजपूत, निवासी दुर्गा कॉलोनी, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को भागीदार (1) श्री रमेश शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनारायण शर्मा, निवासी 14-बी, आर. पी. कॉलोनी, ग्वालियर एवं (2) राय सिंह राजपूत पुत्र श्री पन्नालाल राजपूत, निवासी दुर्गा बिहार कॉलोनी, ग्वालियर दोनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स गिर्राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ग्वालियर,
सुरेश शर्मा,
(भागीदार).

(235-बी.)

भागीदारी फर्म की रचना में परिवर्तन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि M/s. KRISHNA EXIM सी-17, ग्रीन ऐवेन्यू, सटई रोड, छतरपुर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) का पंजीयन दिनांक 20 मार्च, 2014 को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज, सागर संभाग, सागर द्वारा किया गया है. फर्म की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है कि—

फर्म M/s. KRISHNA EXIM में नये भागीदार के रूप में श्री पंकज रिछारिया पिता स्व. श्री श्रीराम रिछारिया, निवासी सी-16, ग्रीन ऐवेन्यू, सटई रोड, छतरपुर आज दिनांक 25 जून, 2016 से सम्मलित किये जाने फर्म के समस्त भागीदार सहमत हैं. फर्म M/s. KRISHNA EXIM के शेष भागीदार श्री आलोक बनर्जी एवं श्री अमित अग्रवाल यथावत् रहेंगे.

M/s. KRISHNA EXIM,
आलोक बनर्जी, अमित अग्रवाल,
(भागीदार)
सी-17, ग्रीन ऐवेन्यू, सटई रोड,
छतरपुर (म.प्र.).

(236-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिपरिया, जिला होशंगाबाद

रा.प्र.क्र. /बी-113/2015-16. मौजा-रिछेड़ा ह.न. 45, तहसील पिपरिया.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक, पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक मदन गोपाल आ. प्यारेलाल दुबे, निवासी रिछेड़ा, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "श्रीरामचंद्र ठाकुर जी मंदिर ग्राम रिछेड़ा" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के माह 07 के 29 दिनांक को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. आवेदित कथित न्यास के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति या सुझाव सहित उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्रीरामचंद्र ठाकुर जी मंदिर ग्राम रिछेड़ा" . तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
सम्पत्ति का विवरण	:	ग्राम रिछेड़ा, ख. नं. 83, रकबा 0.809 हे., ख. नं. 85/2, रकबा 0.809 हे., ख. नं. 292, रकबा 4.553 हे., कुल रकबा-6.171 हे.

(510)

रा.प्र.क्र. /बी-113/2015-16. मौजा-पिपरिया ह.नं. 21, तहसील पिपरिया

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम 5-1 के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक ज्ञानचंद मालपानी आ. उदयराम मालपानी, निवासी जाकिर हुसैन वार्ड, मंगलवारा बाजार पिपरिया, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "मालपानी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के माह 08 के 03 दिनांक को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. आवेदित कथित न्यास के पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति या सुझाव सहित उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"मालपानी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" मंगलवारा नेहरू वार्ड पिपरिया, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
सम्पत्ति का विवरण	:	पंजीयन बाद सहयोग लिया जावेगा.
उद्देश्य	:	मानव कल्याण हेतु पारमार्थिक कार्य.

(510-A)

रा.प्र.क्र. /बी-113/2015-16. मौजा-हथवास ह.न. 20, तहसील पिपरिया

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5-1 के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक फूलसिंह आ. दयाराम रघुवंशी, निवासी हथवास, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "केशव गौ सेवा संस्थान हथवास " के नाम से लोक न्यास के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के माह 07 के 29 दिनांक को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. आवेदित कथित न्यास के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति या सुझाव सहित उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"केशव गौ सेवा संस्थान हथवास " तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
सम्पत्ति का विवरण	:	ग्राम हथवास, ख. नं. 208 रकबा 8.063 हे. में से 0.10 ए. भूमि.

राजेश शाही,

(510-B) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री प्रमोद चुग पुत्र श्री किशनलाल मोदी, निवासी-शुभम नर्सरी, पटेल नगर, रायसेन रोड, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जुलाई, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"जाहनवी महादेव मंदिर आश्रम न्यास (ट्रस्ट) भोपाल" स्वामी शरणानंद आश्रम, अशोक नगर, रायसेन रोड, भोपाल.
कार्यालय का पता	:	स्वामी शरणानंद आश्रम, अशोक नगर, रायसेन रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	1100/- रुपये.

(520)

भोपाल, दिनांक 23 जून, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री मुक्ति मोहम्मद अबुल कलाम कासमी आ. स्व. श्री मोहम्मद इस्माईल खान, निवासी म. नं. 23 गली नंबर 01, जमील होटल के पास इब्राहिमपुरा, जिला भोपाल पिन क्रमांक 462001 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 23 जुलाई, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	प्रोगेसिव एजुकेशन ट्रस्ट, भोपाल. म. नं. 23 गली नंबर 01, जमील होटल के पास इब्राहिमपुरा, जिला भोपाल.
कार्यालय का पता	:	म. नं. 23 गली नंबर 01, जमील होटल के पास इब्राहिमपुरा, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

प्रदीप कुमार शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(520-A))

न्यायालय पंजीयन, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 जून, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री रामचंद्र सोलपंखी पिता बलदेवजी सोलपंखी, न्यासी द्वारा सेठ बलदेवजी सोलपंखी पारमार्थिक लोक न्यास उज्जैन, पता-136, महेशनगर उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	सेठ बलदेवजी सोलपंखी पारमार्थिक लोक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	:	136, महेशनगर उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन पत्र अनुसार अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	51,000/- रु. जिला सहकारी केन्द्रीय मर्या., बैंक उज्जैन के खाते की पावती पेश की है.

(521)

प्र.क्र. 18/बी-113/2015-16. उज्जैन, दिनांक 28 जून, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक हटेसिंह पिता मायारामजी पटेल, न्यासी द्वारा श्री आंजना पटेल समाज महासभा न्यास, ग्राम पोस्ट चिंतामण जवासिया, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्या की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	श्री आंजना पटेल समाज महासभा न्यास.
कार्यालय	:	ग्राम पोस्ट चिंतामण जवासिया, तहसील व जिला उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन पत्र अनुसार अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	50,000/- रु. नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक खाते में जमा.

शितिज शर्मा,

(521-A)) पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

न्यायालय पंजीयन, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर

प्ररूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

खुरई, जिला सागर मध्यप्रदेश के समक्ष.

चूंकि श्री कैलाशनाथ रजक एवं अन्य निवासी खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951

(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करेने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित प्रस्तुत करना ओर कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	शिवशक्ति मंदिर, रजक समाज, शिवाजी वार्ड, खुरई.
सम्पत्ति का विवरण:		
चल सम्पत्ति	:	मंदिर की मूर्तियां पूजन सामग्री एवं 1300-00 बैंक खाते में जमा.
अचल सम्पत्ति	:	69.00 वर्गमीटर भूमि जिस पर मंदिर एवं पांच पक्के कमरे, धर्मशाला स्थित हैं कीमत लगभग एक करोड़ रुपया.

(508)

प्ररूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश के समक्ष.

चूंकि श्री सुरजीतसिंह एवं अन्य, निवासी-पातीखेडा, तहसील मालथौन, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:-	श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ जी मंदिर ग्राम पातीखेडा, तहसील मालथौन.
चल सम्पत्ति	:-	मंदिर की मूर्तियां पूजन सामग्री.
अचल सम्पत्ति	:-	35,00,000-00.

अरूणकुमार सिंह,
पंजीयक.

(508-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2015-16

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री मानक चन्द्रा आ. स्व. श्री राम प्रसाद, निवासी-ई-5/85, अरेरा कॉलोनी, भोपाल द्वारा "जस्टिस फार पब्लिक काज फाउण्डेशन ट्रस्ट" ई-5/85, अरेरा कॉलोनी, भोपाल लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 14 जुलाई, 2016 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	"जस्टिस फार पब्लिक काज फाउण्डेशन ट्रस्ट".
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	48,579.00

आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

कमल सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रर्ड.

(509)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

यत: कि श्री संकल्प गांधी जैन तनय महेश गांधी, निवासी-पुराना पावर हाउस चौक, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	एम. के. गांधी, चेरिटेबल ट्रस्ट, पुराना पावर हाउस चौक, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना.
2. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
3. चल सम्पत्ति	:	1,000/- रुपये.

प्रारूप-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा(4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, रमेश कुमार सिंह, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 जुलाई, 2016 भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

रमेश कुमार सिंह,

(511) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगौन

परिशिष्ट क्रमांक-10 (भाग-2) चराई प्रतिबंधित क्षेत्र घांस बीड की सूची

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
1.	चिरीया	1. घांस बीड, इरपुर	524	33.993
	भीकनगांव	2. घांस बीड टेमला भाग-1	531	23.88
	भीकनगांव	3. घांस बीड टेमला भाग-2	531	23.88
	चिरीया	4. घांस बीड सेमल्यामाल	540	40.47
	चिरीया	5. घांस बीड, बादरखां	540	59.49
	भीकनगांव	6. घांस बीड, सागटियामाल	543	71.63
		7. घांस बीड, खेरदा रोशिया भाग-1	549	125.86
		8. घांस बीड, खेरदा रोशिया भाग-2	549	125.86
		9. घांस बीड, गाडरियामाल भाग-1 व 2	557	93.08
		10. घांस बीड, मेहरचंदवाली सुतार कुंडिया नीमदगड	617,618	118.57
		11. घांस बीड मबीवाली	621	21.85
		12. घांस बीड काकड़वाली	623	15.78
		13. घांस बीड़ सादडवाली	630	8.50
		14. घांस बीड अंजनबैडी	623	17.40
		15. घांस बीड सागटियामाल	561	118.17
		16. घांस बीड पेमावाली	623	15.38
		17. घांस बीड लंगडीबैडी	623	14.57

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
		18. घांस बीड शिकारिया	623	15.38
2.	कसरावद	19. घांस बीड मुराला भाग-1	631	30.42
		20. घांस बीड मुराला भाग-2	631	29.95
		21. घांस बीड चकरिया भाग-1	648	21.45
		22. घांस बीड चकरिया भाग-2	648	22.26
		23. घांस बीड चंदनपुरी	652	111.69
3.	खरगौन	24. घांस बीड मेहरघट्टी भाग-1	659	38.44
		25. घांस बीड मेहरघट्टी भाग-2	659	35.18
4.	कसरावद	26. घांस बीड नारायणपुरा भाग-1	672	82.04
		27. घांस बीड नारायणपुरा भाग-1	672,670	63.13
		28. घांस बीड बारदेवला	671 से 673	80.13
		29. घांस बीड सातपिपरी	691	31.88

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमंडल सामान्य, खरगौन

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
		वर्ष 2012		
1.	कसरावद	मिश्रित रोपण बेसरकुण्ड	1052	20.000
2.	चिरीया	औंकारेश्वर निधि सांईखेड़ा	935	25.00
3.	भीकनगांव	जलाऊ वृक्षारोपण लंगडीबैडी	622	30.000
4.	कसरावद	जलाऊ वृक्षारोपण भोपालपुरा	1049	50.000
5.	कसरावद	जलाऊ वृक्षारोपण चिचलाय	1063	50.000
6.	बिस्टान	बांस रोपण बामनपुरी	220	35.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण खापरजामली	541	40.000
8.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार पिपलझोपा	247	30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार लाहोरपानी	242	30.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार लाहोरपानी	243	30.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार धरमपुरी	250	30.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार राजमली	206	30.000
13.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार जलालाबाद	403	96.000
14.		बिगड़े वनों का सुधार लिपनी	438	150.000
15.		बिगड़े वनों का सुधार नागलवाडी	1158	150.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1091	125.000
17.		बिगड़े वनों का सुधार	सिरवेल	569	150.000
18.		बिगड़े वनों का सुधार	मालखेड़ा	571	80.000
19.		बिगड़े वनों का सुधार	हाथीबुडिया	1103	100.000
20.		बिगड़े वनों का सुधार	रूलीबड़	1124	100.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	474	167.000
22.		बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	491	96.000
23.		बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	505	81.000
24.		बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	532	130.000
25.		बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	612	100.000
26.		बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	649	80.000
27.		बिगड़े वनों का सुधार	जामली	661	100.000
28.		बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	672	50.000
29.		बिगड़े वनों का सुधार		683	75.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	926	80.000
31.		बिगड़े वनों का सुधार	रातली	924	40.000
32.		बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रानिया	909	120.000
33.		बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	759	100.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	862	100.000
35.		बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	798	80.000
36.		बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	805	100.000
37.		बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	830	70.000
38.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1082	100.000
39.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1083	86.000
40.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	434	60.000
41.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	406	80.000
42.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	457	125.000
43.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1085	80.000
44.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	हाथीगुडिया	1104	100.000
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	466	105.000
46.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	598	130.000
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1029	58.000
48.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031	57.000
49.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1036	80.000
50.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1048	85.000

1	2	3	4		5
					(हेक्टेयर में)
51.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	999	100.000
52.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिकलवास	962	110.000
53.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1006	30.000
54.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	989	59.000
55.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	974	30.000
56.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोई खुर्द	710	30.000
57.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	721	48.000
58.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	728	100.000
59.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	732	32.000
60.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	887	75.000
61.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	906	50.000
62.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	787	100.000
63.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	797	90.000
64.	बिस्टान	बांस रोपण	राजमली	617	50.000
65.	कसरावद	मिश्रित रोपण	नारायणपुरा	1054	30.000
66.	खरगौन	पर्यावरण वानिकी	बड़गांव	1198	5.000
67.	चिरीया	पर्यावरण वानिकी	मुंडिया से ढसलगांव	–	1.00 K.M.
		वर्ष 2013			
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	403	50.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	439	175.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1156	150.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1095	125.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	569	70.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेड़ा	571	80.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1107	100.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1126	80.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	474	99.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	483	143.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	491	50.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	505	60.000
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कड़वापानी	533	105.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	613	125.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	649	50.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	662	60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	673	50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	683	50.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	923	40.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोंद्रानिया	909	110.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	759	40.000
22.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सुलाबेडी	862	30.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सुलाबेडी	855	30.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	802	30.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	805	30.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	830	30.000
27.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1082	80.000
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1083	80.000
29.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपड़ावा	420	50.000
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	434	80.000
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	406	80.000
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	445	20.000
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	457	105.000
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	433	80.000
35.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1089	100.000
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1127	150.000
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	511	70.000
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1104	80.000
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1125	100.000
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1100	60.000
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1085	80.000
42.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1120	70.000
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	466	141.000
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	628	140.000
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	642	50.000
46.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	700	60.000
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1021	80.000
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031	80.000
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1036	50.000
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054	60.000
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1048	63.000
52.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1067	40.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1006	30.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1014	30.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	989	40.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	999	50.000
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	967	50.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	974	30.000
59.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपल्या	951	90.000
60.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	963	50.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	973	50.000
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोड़ी खुर्द	710	40.000
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	728	50.000
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	740	40.000
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	732	30.000
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नहालदरी	894	50.000
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	938	50.000
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	947	100.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नहालदरी	763	70.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	772	50.000
		वर्ष 2014			
1.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड़	1027	70.000
2.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	गवला	1060	40.000
3.	बिस्टान	मिश्रित वृक्षारोपण	तलघर	642	30.000
4.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	चिरीया	745	50.000
5.	बिस्टान	बांस रोपण	चरीपुरा	460	50.000
6.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	569	50.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	545	50.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	545	40.000
9.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411	100.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440	80.000
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157	75.000
12.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1107	25.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेड़ा	585	30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1126	50.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	553	60.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1095	50.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650	30.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	662	60.000
19.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492	100.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
20.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	533	60.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रुपगढ़	514	90.000
22.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	616	60.000
23.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ	673	30.000
24.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	684	100.000
25.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	475	80.000
26.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	484	95.000
27.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	928	40.000
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	923	90.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रानया	910	120.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	760	150.000
31.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863	30.000
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857	30.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	802	30.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806	30.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833	30.000
36.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038	120.000
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084	80.000
38.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421	40.000
39.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135	90.000
40.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408	75.000
41.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1147	100.000
42.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447	120.000
43.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	458	150.000
44.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512	40.000
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090	40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570	40.000
47.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1105	80.000
48.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबेडी	586	30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128	30.000
50.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467	90.000
51.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पीपलझोपा	629	50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	644	60.000
53.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	700	60.000
54.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1050	60.000
55.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054	86.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
56.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049	17.000
57.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1067	80.000
58.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1021	80.000
59.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031	25.000
60.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000	105.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992	30.000
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	975	30.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968	50.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961	50.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर खुर्द	988	50.000
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729	30.000
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745	90.000
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	747	20.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	947	50.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडी खुर्द	711	50.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड	722	25.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडी खुर्द	709	100.000
73.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773	50.000
74.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888	15.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877	15.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852	30.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	787	40.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	788	30.000
79.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605	50.000
80.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1093	60.000
		वर्ष 2015			
1.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण		1002	50.000
2.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		915	50.000
3.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		734	50.000
4.	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण		1042	25.000
5.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण		1057	50.000
6.	बिस्टान	बांस रोपण		657	100.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण		598	25.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण		579	50.000
9.	भीकनगांव	बांस रोपण		1009	50.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411	100.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440	60.000
12.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157	100.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096	30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	553	30.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	585	30.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1110	20.000
17.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोअरअम्बा	1130	30.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	475	60.000
19.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485	50.000
20.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492	40.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515	60.000
22.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536	80.000
23.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617	40.000
24.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650	30.000
25.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663	60.000
26.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	674	50.000
27.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगड़ी	689	70.000
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	930	60.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	927	40.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्दरान्या	910	30.000
31.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	761	50.000
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863	35.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857	50.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	808	35.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806	38.000
36.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833	30.000
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038	90.000
38.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084	40.000
39.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421	60.000
40.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135	90.000
41.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408	60.000
42.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1148	100.000
43.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447	75.000
44.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	459	100.000
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090	40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128	50.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
47.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512	40.000
48.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546	30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570	50.000
50.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587	30.000
51.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467	50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630	150.000
53.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652	25.000
54.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701	50.000
55.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022	50.000
56.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1032	90.000
57.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037	110.000
58.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054	50.000
59.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049	30.000
60.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068	110.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008	75.000
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015	50.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992	25.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोडिया	1000	150.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझरकपासी	968	140.000
66.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976	40.000
67.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961	40.000
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711	15.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722	25.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729	90.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745	45.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748	40.000
73.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939	25.000
74.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955	50.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773	40.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888	14.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877	11.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852	30.000
79.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789	30.000
80.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788	40.000
81.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन योजना	कुन्दा	605	60.000
82.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन योजना	अनेर	1092	30.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
			वर्ष 2016		
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411	100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440	80.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157	100.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096	30.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	हाथीगुडिया	553	30.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	कुम्हारबेडी	585	30.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	रूलीबड	1110	20.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	उमरिया	1130	30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476	60.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485	50.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492	40.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515	60.00
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536	80.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617	40.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650	30.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663	60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	674	50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	689	70.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	930	60.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	927	40.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रान्या	910	30.000
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	761	50.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863	35.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857	50.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	साततली	808	35.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806	38.000
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833	30.000
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038	90.000
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084	40.000
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421	60.000
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135	90.000
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408	60.000
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमाल्यापानी	1148	100.000
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447	75.000
35.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	459	100.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090	40.000
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128	50.000
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ	512	40.000
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546	30.000
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570	50.000
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587	30.000
42.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467	50.000
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630	150.000
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652	25.000
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701	50.000
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022	50.000
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुल्ठान	1032	90.000
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037	110.000
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054	50.000
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049	30.000
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068	110.000
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008	75.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015	50.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992	25.000
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000	150.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968	140.000
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976	40.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961	40.000
59.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711	15.000
60.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722	25.000
61.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729	90.000
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	माण्डवा	745	45.000
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748	40.000
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939	25.000
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955	50.000
66.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773	40.000
67.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888	14.000
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877	11.000
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852	30.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789	30.000

1	2	3	4	5	
					(हेक्टेयर में)
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788	40.000
72.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605	60.000
73.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1092	30.000
74.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण		970	50.000
75.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		915	50.000
76.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		734	50.000
77.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण		1042	25.000
78.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण		1062	50.000
79.	भीकनगांव	बांस रोपण		951	50.000
80.	बिस्टान	बांस रोपण		657	100.000
81.	सिरवेल	बांस रोपण		598	25.000
82.	सिरवेल	बांस रोपण		579	50.000

एम. आर. बघेल,
वनमण्डलाधिकारी.

(479)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1490/18-09-1998	2816/03-08-2015
2.	महावीर साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	101/31-07-2008	581/25-02-2016

अत: मैं आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(512)

उज्जैन दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की

धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., ढाबलारेहवारी	2046/02-02-2015	740/08-03-2016
2.	माँ पार्वती प्राथ. उपभोक्ता सह. भंडार मर्या., उज्जैन	1777/06-02-2012	743/08-03-2016
3.	वाल्मिक प्राथमिक उपभोक्ता सह. भंडार मर्या., उज्जैन	1794/10-10-2012	743/08-03-2016
4.	गीता प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1797/19-10-2012	743/08-03-2016
5.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., किठोदाराव	2009/12-01-2015	744/08-03-2016

अत: मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57(सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समितियों का कोई लेखा पुस्तकें, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतित होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. एल. नागर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(512-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 13 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/871.—जनसुनवाई दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को श्री विक्रम, निवासी चिकली गोयल द्वारा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चिकली गोयल, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा के अध्यक्ष तथा उनकी कार्यकारिणी द्वारा किये जा रहे नियम विपरीत क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला आगर-मालवा श्री एल. पी. रजक से करायी गयी.

सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/145/म/तक/जाँच/2017-17, दिनांक 02 मई, 2016 तथा पत्र क्रमांक/146/म/तक/जाँच/2017-17, दिनांक 07 मई, 2016 से अवगत कराया गया कि संस्था रिकार्ड का परीक्षण एवं अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि संस्था सदस्य सहकारिता अधिनियम के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं. सदस्यों में रुचि नहीं है. आपस में वाद-विवाद है. पीजीटीएल, सीएम हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. संस्था अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सुनील, पवन एवं हीरालाल बाथम द्वारा समिति के तालाब में कार्य कराया जाता रहा है. सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पुलिस बल के साथ स्थल निरीक्षण करने पर मत्स्याखेट करते हुये पार्टी पायी गयी जिसका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि के समक्ष पंचनामा बनाया गया जिसका प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत किया गया. सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 117, दिनांक 14 अगस्त, 2015 के द्वारा उन्हें संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. उनके द्वारा प्रभार सुपुर्द करने हेतु संस्था अध्यक्ष को दिनांक 04 नवम्बर, 2015 को पत्र लिखा गया किन्तु संस्था अध्यक्ष द्वारा न तो रिकार्ड मेंटेन किया और न ही कोई हिसाब-किताब रखा. सदस्यों की कोई आमसभा नहीं ली गयी जिससे संस्था के सदस्यों में वाद-विवाद होते हुये संस्था की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं.

उपरोक्त स्थिति के आधार पर संस्था प्रबंधकारिणी कमेटी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/733, दिनांक 07 मई, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में स्पष्टीकरण तथा दिनांक 08 जून, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने का उल्लेख किया गया.

संस्था अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 01 जून, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हुए सहायक मत्स्य अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 02 मई, 2016 की मांग की गयी जबकि प्रबंधकारिणी कमेटी को अपना बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करना चाहिये था.

सहायक मत्स्य अधिकारी, आगर-मालवा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/जाँच/2016/188, दिनांक 08 जून, 2016 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान संचालक मण्डल को दिनांक 26 नवम्बर, 2015 तक पूर्व संचालक मण्डल द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही वर्तमान संस्था अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2015 तक कोई रिकार्ड मेंटेन किया गया. संस्था का रिकार्ड वर्ष 2015 में 24 नवम्बर, 2015 के बाद ही बनाया गया है क्योंकि उन्हें 24 नवम्बर, 2015 को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, उक्त दिनांक तक संस्था अध्यक्ष के पास कोई रिकार्ड मेंटेन नहीं था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 415, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन से संचालक मण्डल को कार्य करना था किन्तु नियंत्रण अधिकारी के बगैर अनुमोदन से कार्य किया गया है.

प्रतिवेदन अनुसार संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से 20 मार्च, 2015 तक विभिन्न दिनांकों में आयोजित बैठकों का आयोजन वर्ष में एक ही दिन किया गया क्योंकि उक्त बैठक समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा एक ही पेन से एक समान रूप से लिखी गयी है. संस्था द्वारा आडिट की तामीली भी नहीं करायी गयी है.

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दिनांक 08 जून, 2016 को उपस्थित होकर बिन्दुवार कथन प्रस्तुत किये गये जिसके बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3 तक नियमानुसार कार्य करना दर्शाया गया है किन्तु सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संस्था के संबंध में प्राप्त शिकायतों से स्पष्ट है कि संस्था प्रबंधकारिणी कमेटी सहकारी अधिनियम तथा उपविधि के प्रावधानों के विपरीत कार्य कर रही है.

सहायक मत्स्य अधिकारी के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था में विवाद की स्थिति निर्मित होती रही है. सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है.

सहायक मत्स्य अधिकारी आगर-मालवा की अनुशंसा एवं संस्था में हो रहे सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के विपरीत कार्य के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चिकली गोयल, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 26 मई, 1992) को आज दिनांक 13 जून, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. पी. रजक, सहायक मत्स्य अधिकारी, आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(513)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/359.—यह कि शमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1895, दिनांक 06 नवम्बर, 2003 का गत निर्वाचन दिनांक 30 मई, 2010 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 29 मई, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वतः रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छः-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/355, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए शमा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/360.—यह कि डॉ राधाकृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1492, दिनांक 06 जुलाई, 1993 का गत निर्वाचन दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/358, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए डॉ राधाकृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-A)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/361.—यह कि स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 04 सितम्बर, 1979 का गत निर्वाचन दिनांक 28 अगस्त, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 27 अगस्त, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/359,, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-B)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/362.—यह कि माँ भगवती क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 2085, दिनांक 14 फरवरी, 2008 का गत निर्वाचन दिनांक 21 अगस्त, 2008 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 20 अगस्त, 2013 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/362, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए माँ भगवती क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-C)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/363.—यह कि जय गजानंद क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खकनार, पंजीयन क्रमांक 18921, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 का गत निर्वाचन दिनांक 18 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/363, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए जय गजानंद क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-D)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/364.—यह कि अरूणोदय क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, लोनी, पंजीयन क्रमांक 2010, दिनांक 14 जुलाई, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 05 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 06 अगस्त, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा

तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/414, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए अरूणोदय क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी.एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-E)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/365.—यह कि बुरहानपुर यार्न एवं क्लाथ मार्केटिंग सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1828, दिनांक 26 जून, 2001 का गत निर्वाचन दिनांक 21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 20 जनवरी, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/415, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी.एस.जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर यार्न एवं क्लाथ मार्केटिंग सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी.एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-F)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/366.—यह कि ताप्ती एकलारा फल, सब्जी उत्पादक एवं क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, एकलारा, पंजीयन क्रमांक 1835, दिनांक 01 सितम्बर, 2001 का गत निर्वाचन दिनांक 26 जून, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 25 जून, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/371, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए ताप्ती एकलारा फल, सब्जी उत्पादक एवं क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, एकलारा को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-G)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/367.—यह कि सुदाना बीज एवं पशुखाद सामग्री क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खैरखेडा, पंजीयन क्रमांक 2012, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 07 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 06 अगस्त, 2007 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/372, बुरहानपुर दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सुदाना बीज एवं पशुखाद सामग्री क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खैरखेडा को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-H)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/368.—यह कि सूर्यनारायण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सांडसखुर्द, पंजीयन क्रमांक 2006, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 04 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 03 अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/373, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूर्यनारायण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सांडसखुर्द को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-I)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/369.—यह कि सुप्रभात बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, लोनी, पंजीयन क्रमांक 2008, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 05 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 04 अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/374, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सुप्रभात बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, लोनी को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी.एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-J)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/370.—यह कि स्वामीनारायण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, देवरीमाल, पंजीयन क्रमांक 2007, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 03 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 02 अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/375, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए स्वामीनारायण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, देवरीमाल को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी.एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-K)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/371.—यह कि श्रीकृष्ण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सांडसकला, पंजीयन क्रमांक 2009, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 12 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 11 अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा

तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/376, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए श्रीकृष्ण बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सांडसकला को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-L)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/372.—यह कि निम्ना बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, निम्ना, पंजीयन क्रमांक 2011, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 10 अगस्त, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 09 अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/377, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी.एम.सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए निम्ना बीज क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, निम्ना को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी.एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-M)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/373.—यह कि डायमण्ड पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 27 जून, 1973 का गत निर्वाचन दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/417, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए डायमण्ड पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-N)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/374.—यह कि हिंगलाज पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 27 नवम्बर, 1965 का गत निर्वाचन दिनांक 17 जनवरी, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 16 जनवरी, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/370, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए हिंगलाज पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-O)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/375.—यह कि युनाईटेड पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 20 नवम्बर, 1980 का गत निर्वाचन दिनांक 19 जून, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 18 जून, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/418, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए युनाईटेड पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-P)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/376.—यह कि मस्तुरी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 19 सितम्बर, 1988 का गत निर्वाचन दिनांक 27 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/419, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मस्तुरी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/377.—यह कि रूबी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 18 मई, 1989 का गत निर्वाचन दिनांक 17 फरवरी, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 16 फरवरी, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/421, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए रूबी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-R)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/378.—यह कि महाभारत पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 199, दिनांक 25 अगस्त, 1990 का गत निर्वाचन दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क)

के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/422, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए महाभारत पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-S)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/379.—यह कि पायोनियर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 25 अगस्त, 1990 का गत निर्वाचन दिनांक 17 जनवरी, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 16 जनवरी, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/423, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए पायोनियर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-T)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/380.—यह कि उमाशंकर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 25 फरवरी, 1997 का गत निर्वाचन दिनांक 06 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 05 मार्च, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/426, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उमाशंकर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-U)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/381.—यह कि फरग्युसन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 02 मई, 1997 का गत निर्वाचन दिनांक 15 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 14 मार्च, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/427, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए फरग्युसन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-V)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/382.—यह कि प्रिया पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 02 मार्च, 1996 का गत निर्वाचन दिनांक 05 जुलाई, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 04 जुलाई, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/428, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्रिया पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-W)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/383.—यह कि अनमोल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1726, दिनांक 12 अगस्त, 1999 का गत निर्वाचन दिनांक 02 मार्च, 2009 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 01 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/434, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए अनमोल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-X)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/384.—यह कि राजलक्ष्मी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 27 मई, 2004 का गत निर्वाचन दिनांक 02 फरवरी, 2010 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 01 फरवरी, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही समिति द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/431, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि समिति अकार्यशील है इस कारण समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी समितिएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए राजलक्ष्मी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा समिति के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/385.—यह कि सालासर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 30 मार्च, 2013 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 30 मार्च, 2013 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 29 जून, 2013 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन

किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/296, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सालासर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(514-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/386.—यह कि पापुलर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/297, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए पापुलर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/387.—यह कि ओ. बी. सी. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 04 मार्च, 2014 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 04 मार्च, 2014 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 03 जून, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/298, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए ओ. बी. सी. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-A)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/388.—यह कि ब्ल्यु स्टार पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 06 जून, 2014 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 05 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/299, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए ब्ल्यु स्टार पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-B)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/389.—यह कि के. जी. एन. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 20 जनवरी, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/291, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए के. जी. एन. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. एन. टाले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-C)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/390.—यह कि डाभियाखेडा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डाभियाखेडा, पंजीयन क्रमांक 1495, दिनांक 06 जुलाई, 1993 का गत निर्वाचन दिनांक 28 जून, 2007 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 27 जून, 2012 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/379, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए डाभियाखेडा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, डाभियाखेडा को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-D)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/391.—यह कि धामनगॉव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धामनगॉव, पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन किया जाकर संचालक मण्डल का नामांकन दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को तीन माह के लिये किया गया था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 12 जनवरी, 2015 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/294, बुरहानपुर, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए धामनगॉव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धामनगॉव को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-E)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/392.—यह कि अवंतिका रस्सी निर्माण औद्योगिम सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1817, दिनांक 28 फरवरी, 2001 का गत निर्वाचन दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क)

के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/343, बुरहानपुर, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए अवंतिका रस्सी निर्माण औद्योगिम सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-F)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/393.—यह कि नवजीवन काष्टकला सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक.....का गत निर्वाचन दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 08 अक्टूबर, 2011 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/368, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए नवजीवन काष्टकला सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-G)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/394.—यह कि जय भारत फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, पातोंडा, पंजीयन क्रमांक 2076, दिनांक 12 नवम्बर, 2007 का गत निर्वाचन दिनांक 12 अगस्त, 2008 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 09 अगस्त, 2013 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/433, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए जय भारत फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, पातोंडा को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(515-H)

बुरहानपुर, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./विधि/2016/395.—यह कि ताप्ती विपणन सहकारी समिति मर्यादित, तुकईथड, पंजीयन क्रमांक 1608, दिनांक 17 जनवरी, 1996 का गत निर्वाचन दिनांक 20 अप्रैल, 2008 को सम्पन्न हुआ था. जिसके अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल के 05 वर्ष दिनांक 19 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो चुका है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (क) के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा तथा (7-क), (ख) के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गये समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा, साथ ही संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49 सी/ग (1) के अनुसार कार्यकाल समाप्ति के 04 माह पूर्व प्रारूप छ:-2 में दस्तावेजों के साथ सदस्यता सूची प्रस्तुत करने में चूक की गई थी. इस कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/360, बुरहानपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 20 जून, 2016 को अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है इस कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के परन्तुक (ए/क), (सी/ग) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए ताप्ती विपणन सहकारी समिति मर्यादित, तुकईथड को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप पंजीयक.

(515-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

बाबा गणेश बीज उत्पादक मर्यादित, थेथम, तहसील ...., जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1055, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्र/परिसमापन/213-12, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(516)

हरे कृष्ण ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, डाकेला, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 26 मार्च, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र/परिसमापन/567, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(516-A)

पुलिस हितकारिणी सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 85, दिनांक 23 मार्च, 1955 को कार्यालयीन आदेश क्र/परिसमापन/567, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 जून, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक.

(516-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1245, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामस्थान, वि. खं. सोहावल, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 23 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सह. निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रामस्थान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 578, दिनांक 23 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(517)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1238, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रिछहरी, वि. खं. रामपुर बघेलान, पंजीयन क्रमांक 673, दिनांक 04 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सह. निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रिछहरी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 673, दिनांक 04 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(517-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1236, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कोटर, पंजीयन क्रमांक 711,

दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सह. निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कोटर, पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. पी. पाल,
उप रजिस्ट्रार.

(517-B)

कार्यालय परिसमापक, सहकारिता विभाग साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा

दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

सहकारिता विभाग साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2016/453, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518)

कार्यालय परिसमापक, नवचंडी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा

दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

नवचंडी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2298, दिनांक 07 फरवरी, 2015 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खंडवा के आदेश क्रमांक/परि./2016/140, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-A)

कार्यालय परिसमापक, महाराणाप्रताप राजपूत साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा

दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महाराणाप्रताप राजपूत साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2297,

दिनांक 07 फरवरी, 2015 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2016/142, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीपक झवर,
परिसमापक.

(518-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2015/777, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा नवचंडी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2298, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावें इस बाबत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से, कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नवचंडी साख सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2298, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियां एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(519)

खण्डवा, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2015/778, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा महाराणा प्रताप राजपूत साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2297, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क), (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावें इस बाबत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से, कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा महाराणाप्रताप राजपूत साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2297, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(519-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2015/695, खण्डवा, दिनांक 08 जून, 2010 के द्वारा सहकारिता विभाग साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49(7-क), (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/322, खण्डवा, दिनांक 16 मार्च, 2016 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावें इस बाबत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था के द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

निर्धारित समयावधि में उक्त बिन्दुओं पर संस्था के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से सहमत है. इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सहकारिता विभाग साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के तीन माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(519-B)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2016-आषाढ़ 24, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, जबलपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.–

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.–तहसील जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर) जबलपुर, मंझोली, कुंडम (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.–तहसील सीहोर, पाटन, जबलपुर में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला दमोह व बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला दमोह व बड़वानी में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला भोपाल में फसल गेहूँ, चना, मसूर, मटर व मुरैना, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2016

क्र. जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	**जिला अशोकनगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
	1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
	3. अशोकनगर	. .				
	4. चन्देरी	. .				
	5. शाढौरा	. .				
8.	**जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
	3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
	4. आरोन	. .				
	5. चाचौड़ा	. .				
	6. कुम्भराज	. .				
9.	**जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
	3. जतारा	. .				
	4. टीकमगढ़	. .				
	5. बल्देवगढ़	. .				
	6. पलेरा	. .				
	7. ओरछा	. .				
10.	**जिला छतरपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
	1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
	3. नौगांव	. .				
	4. छतरपुर	. .				
	5. राजनगर	. .				
	6. बिजावर	. .				
	7. बड़ामलहरा	. .				
	8. बक्सवाहा	. .				
11.	**जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
	1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. पन्ना	. .		सरसों, अलसी, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
	3. गुन्नौर	. .		आलू, प्याज.		
	4. पवई	. .		(2) . .		
	5. शाहनगर	. .				
12.	**जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. खुरई	. .		तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
	3. बण्डा	. .		आलू, प्याज कम.		
	4. सागर	. .		(2) . .		
	5. रेहली	. .				
	6. देवरी	. .				
	7. गढ़ाकोटा	. .				
	8. राहतगढ़	. .				
	9. केसली	. .				
	10. मालथोन	. .				
	11. शाहगढ़	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .		(2) . .		
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.9		4. (1) चना अधिक. राहर, राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	0.5				
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, अलसी, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. जिला सिंगरौली:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक. गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		अधिक. ज्वार, धान,		
4. खरगौन	. .		तुअर, गेहूँ कम.		
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .	चालू है.	4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	की कटाई का कार्य	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .	चालू है.	गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, तिल, लाख, तुअर अधिक. चना, मूँग कम. मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	34.2		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	29.6				
3. जबलपुर	14.6		(2) . .		
4. मझोली	13.4				
5. कुण्डम	2.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	4.0				
4. मण्डला	2.6				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. चांद	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला शहडोल, उज्जैन, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(531)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016